FORM - III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}, श्रीकरणपुर जिला,श्रीगंगानगर

श्याम सुन्दर आदि **बनाम** करतार बाई आदि

अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए नम्बर 32 सन् 2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2025 / 506

तामिल हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.2025	आज यह पत्रावली माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के पंत्राक 543 दिनांक 06.11.2025 से प्राप्त हुई। श्रीमान् जी के द्वारा अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 12.09.2022 को निरस्त किया जाकर इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया है कि निर्णय दिनांक 12.09.2022 में तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त मौका रिपोर्ट का विधिवत रूप से विवेचन नहीं किया गया। क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत किये गये रास्ते का आगे मिलान किस रास्ते के साथ हो रहा है। इसका उल्लेख नहीं किया है। उक्त बिन्दुओं पर विचार कर रास्ते के अन्य विकल्पों का अवलोकन कर पुनः निर्णय पारित करे। माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर से पत्रावली प्राप्त होने पर प्रकरण नए नम्बर पर दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली दिनांक 02.12.2025 को पेश हो। सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)	प्रार्थीगण को नोटिस जारी 18/11/25
2/12/25	बार संघ का कार्य स्थगित है श्री मान PO साहब अन्य कार्य में व्यस्त हैं पत्रावली दिनांक 15/12/25 को पेश हो	
15/12/25	वकील फरीकन उपस्थित श्रीमान् PO साहब अन्य कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली दिनांक 08/1/26 को पेश हो।	
8/1/26	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं। रूक-२ कर ३ बार आवाज लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं आया। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(A) RTA अदम पैरवी, अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णीत होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)	

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)